

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री पारसराम पटेल राठौड पुत्र श्री सोनाराम पटेल,  
फर्म :- महादेव मावा भण्डार,  
शोभावतों की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 6 किलो मावा थाल में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा नियमानुसार 1किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 700/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा काजू टुकड़ी 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में भरा एवं 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव डाल कर चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम-1291 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-1291 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम-1291 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकड़ी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग-अलग 2-2 भागों में एम-1291 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1221/एक्ट/2016/1251 दिनांक 26.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम-1291 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया इस हेतु इन्हें अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नहीं हाने से जवाब बंद किया गया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1251 दिनांक 26.10.2016 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक





एक कदम स्वच्छता की ओर

26.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 15000/- अक्षरे रूपये 4-26-11-11 की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15/11/17 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15/11/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर दिनांक :- 15/11/2017

क्रमांक:- न्यायिक/कोर्ट/2017/ 2319 - 2322

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री पारसराम पटेल राठौड़ पुत्र श्री सोनाराम पटेल, फर्म :-महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड,जोधपुर।
04. महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड,जोधपुर।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

